

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 96/2019-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

हिलारूस खलखा  
रवि मिंज

- विक्रेता  
- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
------------------------------	--------------------------------	--

20.03.20

## आदेश


आवेदक हिलारूस खलखो पिता स्व0 मार्शल खलखो ग्राम-चंगाटोली, पोस्ट-लोधमा, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने रवि मिंज पिता बिगलू मिंज ग्राम-चंगाटोली, पोस्ट-लोधमा, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।


ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
चंगाटोली	160	04	432	0.25

अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 203 दिनांक 16.03.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता एवं क्रेता के द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण भूमि बिक्री की अनुशंसा नहीं की गयी है।

अतः अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आलोक में वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।